संख्या: 280/79–6–2010

प्रेशक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़, बुलन्दशहर, मिर्जापुर, सहारनपुर, भदोही, वाराणसी, आगरा, बरेली, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, मेरठ, गाजियाबाद, मऊ, मथुरा, इटावा, रामपुर, लखनऊ, फतेहपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बदायूँ, उन्नाव, सुल्तानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, बस्ती, बांदा, हरदोई, गोरखपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, एटा, शाहजहाँपुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, मुरादाबाद, कौशाम्बी, बिजनौर।

शिक्षा (6) अनुभाग **लखनऊ** **दिनांक:** 23 **मार्च, 2010**

विशय: राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना लागू किए जाने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम योजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों को सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के समकक्ष मानते हुए मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आच्छादित करने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा श्रम आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या–117 दिनॉक–04.01.10 के माध्यम से प्राप्त उपरोक्त 46 जनपदों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिनमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत बाल श्रमिक विद्यालय संचालित हैं।

2. भारत सरकार के उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत संचालित विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों को मध्यान्ह भोजन योजना के परिप्रेक्ष्य में सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के समान मानते हुए मध्यान्ह भोजन योजना के प्राथमिक स्तर हेतु अनुमन्य मानक के अनुसार अपने जनपद के सभी विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से मध्यान्ह भोजन दिया जाना सुनिश्चित करें।

3. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत संचालित उक्त संदर्भित विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित विकल्पों में से किया जायेगा–

- शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.–3 दिनॉक 25 जून,2004 एवं 981/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.–8 दिनॉक–8 सितम्बर, 2004 के अन्तर्गत गठित ग्राम स्तरीय/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा।
- जनपद में पहले से योजना का संचालन कर रहे एन0जी0ओ0 द्वारा।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा।

1 ८०,

- जनपद में उपलब्ध महिला समाख्या समिति के संघो द्वारा।
- एन0सी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत संचालित विशेष श्रमिक स्कूलों को संचालित
  करने वाले एन0जी0ओ0 द्वारा।
- जिले स्तर पर श्रम विभाग के अन्तर्गत गठित एन0सी0एल0पी सोसायटी द्वारा।

4. इन विशेष श्रमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना संचालन में उपभोग होने वाले खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत और रसोइये के मानदेय पर हुये व्यय का विवरण पृथक से रखते हुये प्रत्येक त्रैमास में उपभोग प्रमाण–पत्र संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय संख्या–826 /दस–2010 दिनांक– 23–3–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

Anoop

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

1. प्रमुख सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश।
9. संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. संबंधित वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. सम्बन्धित सहायक श्रमायुक्त/परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, उ0प्र0।
13. नियोजन अनुभाग–4/वित्त (ई–11)/बजट अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।